



2026:AHC:129648

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21862/2026

कुलदीप कश्यप

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: चंद्र प्रकाश पाठक, जवाहर लाल दुबे, सूर्य प्रकाश पाठक

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, पंजीकृत अपराध संख्या 89/2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109(1) और 351(3), के अंतर्गत थाना - सिविल लाइन्स, जिला - मुजफ्फरनगर आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक पर आरोप है कि उसने वादी के पिता को हथौड़े से तीन बार मारा है। घायल व्यक्ति के शरीर पर पाई गई चोटों के बारे में चिकित्सीय राय यह है कि वे प्रकृति में सामान्य हैं। इसके अतिरिक्त, एक्स-रे रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की असामान्यता का खुलासा नहीं हुआ है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.04.2026 से जेल में बंद है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक एकमात्र अभियुक्त है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दर्ज है। उसे एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है और घायल के सिर पर पाई गई चोटें आवेदक को निर्दिष्ट हथियार के अनुरूप हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के किसी भी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।
6. यद्यपि आवेदक को सिर पर चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, तथापि चिकित्सक द्वारा तैयार की गई पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, चोटों को प्रकृति में साधारण माना गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.04.2026 से जेल में है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।
8. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. अभियुक्त-आवेदक कुलदीप कश्यप, जो उपरोक्त पंजीकृत अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु उतनी ही राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण न्यायालय में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस शपथ/आश्वासन के साथ सत्यापित किया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।



12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
13. उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.